

24924

DDC
70/DFO/MDC

पत्र सं-एम-4-18/2014-5812/वि०
बिहार सरकार
वित्त विभाग



AM SDOs/BDOs

बी० राजेन्द्र,
सचिव (व्यय) ।

प्राप्त के दि० - 441-2
11.7.14

सभी प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष
सभी जिला पदाधिकारी
सभी कोषागार पदाधिकारी ।

विषय :- Indian Income Tax Act के Section-194-I के प्रावधान के अनुपालन के संबंध में ।

पटना-15, दिनांक- 4/7/14

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि भारत सरकार आयकर विभाग द्वारा Indian Income Tax Act के Section-194-I में निम्न प्रावधान किया गया है:-

"Rental income-TDS to be done on payment exceeding Rs. 1,20,000/= per annum w.e.f. 01.07.2010 this limit increased to Rs. 1,80,000/= . The rate of TDS is to be 2% where plant or machinery is rented out; 10% in case of land or building."

उपर्युक्त वर्णित प्रावधान के आलोक में अनुरोध है कि अपने कार्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालय को निदेश देने की कृपा की जाय कि उक्त प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

विश्वासभाजन,
Rajendra
3.7.2014
(बी० राजेन्द्र)
सचिव (व्यय)

आपको 548-8 / खात दिनांक 14 जुलाई 2014

प्रतिभा उष विहार आयुक्त महेपुरा/ कोषागार पदाधिकारी
महेपुरा/ जिला सूचना विभाग अधिकारी, महेपुरा/ जिला अन्वय उप
सहायता महेपुरा/ सभी अड्डों पर पदाधिकारी/ सभी प्रसि विहार
पदाधिकारी/ सभी जिला अधिकारी, महेपुरा जिला सूचना
एवं आवेगक कार्यालय हेतु प्रेषित

[Signature]
जिला सूचना विभाग
महेपुरा

926
8.7.14

